[2021] 2 एस. सी. आर. 1010

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

वी.

मेसर्स टेक्समो इंडस्ट्रीज

(2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 811)

08 मार्च, 2021

[इंदिरा बनर्जी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 - एस. 2 (22) और एस. 2 (24) चाहे 'मजदूरी', जैसा कि एस में परिभाषित किया गया है। 2 (22) ई. एस. आई. अधिनियम में कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला परिवहन भत्ता शामिल होगा - एस में मजदूरी की परिभाषा से। 2 (22) , यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि मजदूरी में पारिश्रमिक भुगतान शामिल हैं, लेकिन इसमें प्रतिपूरक भुगतान शामिल नहीं हैं-यात्रा रियायत के मूल्य सहित यात्रा भत्ता को स्पष्ट रूप से मजदूरी की परिभाषा से बाहर रखा गया है, साथ ही किसी कर्मचारी को प्रतिपूर्ति या भुगतान के लिए किया गया कोई भी भुगतान भी।

विशेष खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति जो एक कर्मचारी को अपने रोजगार की प्रकृति के कारण हो सकता है-परिवहन भत्ता यात्रा भत्ते की प्रकृति में है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में सक्षम बनाना और अपने निवास स्थान से अपने कार्यस्थल तक यात्रा पर होने वाली लागतों का भुगतान करना है-यदि परिवहन भत्ते का भुगतान करने के बजाय, नियोक्ता कर्मचारी को मुफ्त परिवहन प्रदान करता है, तो उसके निवास से उसके कार्यस्थल तक यात्रा के उस लाभ का मौद्रिक मूल्य भी उसके वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा-एस में मजदूरी की परिभाषा। 2 (22) ई. एस. आई. अधिनियम में स्पष्ट रूप से यात्रा भत्ता अभिव्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है "यात्रा भत्ता" को ई. एस. आई. अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। 2 (24) ई. एस. आई. अधिनियम में उपयोग किए गए, लेकिन ई. एस. आई. अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सौंपा गया है-यात्रा भत्ता को औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया है-ई. एस. आई. अधिनियम या औद्योगिक विवाद अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, जो यात्रा भत्ते के दायरे और दायरे को प्रतिबंधित करता है-दोनों में से किसी में भी "यात्रा भत्ता" अभिव्यक्ति की कोई परिभाषा या स्पष्टीकरण के अभाव में।

उन अधिनियमों में, अभिव्यक्ति को सामान्य बोलचाल में इसके सामान्य अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। परिवहन भत्ता और यात्रा भत्ता याचिकाकर्ता निगम के इस रुख को सही ठहराने के लिए कि परिवहन भत्ता यात्रा भत्ता-यात्रा के दायरे में नहीं आएगा

1010 कर्मचारी राज्य बीमा निगम v. मेसर्स टेक्समो इंडस्ट्रीज

वैनस में 'एस' में 'यात्रा भत्ता' अभिव्यक्ति का परिवहन भत्ता उपयोग शामिल है। 2 (22) (ख) यह स्पष्ट करता है कि सभी प्रकार के

वेतन भत्ते को मजदूरी की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

परिवहन भत्ते को मजदूरी समाप्ति से क्यों बाहर नहीं रखा जाना चाहिए-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947।

शब्द और वाक्यांश-"संप्रेषण" और "यात्रा"-अर्थ

क़ानूनों की व्याख्या-निर्माण का नियम

mbiguity-आयोजितः जब किसी प्रावधान में कोई अस्पष्टता हो,

न्यायालय आम तौर पर एक ऐसे निर्माण का पक्ष लेगा जो उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनके लिए कानून बनाया गया है।

क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा

निगम बनाम। मेसर्स आईटी सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

आई. एल. आर. 2002 के. ए. आर. 4019-खारिज।

वेलमैन (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम ईएसआई निगम (1999) 1 एससीसी 219: [1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 568; मॉडल

वूलेंस लिमिटेड बनाम। ईएसआई निगम 1994 सप्लीमेंट (3) एससीसी

580 ; और हरिहर पॉलीफाइबर्स बनाम। क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआई

निगम (1994) 4 एससीसी 7-प्रतिष्ठित।

ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड, चेन्नई का प्रबंधन बनाम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चेन्नई 2002

(1) एल. एल. जे. 14; क्षेत्रीय निदेशक, ई. एस. आई. निगम बनाम

निदेशक, ई. एस. आई. निगम, त्रिशूर बनाम। शाही प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, अलुवा 2015 (2) के. एल. टी. 64-ने पुष्टि की।

व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम ईएसआई निगम (2000) 3

एससीसी 185: [2000] 2 एस. सी. आर. 165-संदर्भित। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, 8 वां संस्करण

संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 2 एससीआर 165

पैरा 28

संदर्भित किया गया है

[1993] 3 पूरक। एससीआर 568

प्रतिष्ठित

पैरा 29

1994 पूरक (3) एस. सी. सी 580

प्रतिष्ठित

(1994) 4 एससीसी 7

प्रतिष्ठित

पैरा 29

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका

(ग.) 2021 का No.811

उच्च न्यायालय के 08.10.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 के सी. एम. ए. सं. 1527 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

डॉ. सुमंत भारद्वाज, सुश्री मृदुला रे भारद्वाज, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

न्यायालय का आदेश पारित किया गयाः

आदेश

1. यह विशेष अनुमति याचिका एक फैसले और आदेश के खिलाफ है।

राज्य बीमा निगम, जिसे इसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 82 (2) के तहत 'याचिकाकर्ता निगम' के रूप में संदर्भित किया गया है, और कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय, कोयम्बटूर द्वारा 31 जुलाई 2020 को पारित आदेश की पुष्टि करते हुए E.S.I.O.P No. 1/2016 दायर करने की अनुमति देता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 5 के तहत प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा (संक्षेप में, 'ईएसआई अधिनियम')।

2. प्रत्यर्थी कंपनी विभिन्न प्रकार का उत्पादन करती है

कृषि पंप और अन्य उत्पाद और कोयम्बटूर, तमिलनाडु में इसकी दस शाखाएँ हैं। ई. एस. आई. अधिनियम प्रत्यर्थी कंपनी के कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, और प्रत्यर्थी कंपनी के कर्मचारियों का ई. एस. आई. अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से बीमा किया जाना आवश्यक है।

3. उत्तरदाता कंपनी कर्मचारी राज्य को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

अपने कर्मचारियों के संबंध में बीमा योगदान, जैसा कि ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 39 में दिया गया है। ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 44 में प्रत्यर्थी की आवश्यकता है। कंपनी ई. एस. आई. अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से अपने कर्मचारियों के विवरण वाले एक रजिस्टर को बनाए रखेगी और याचिकाकर्ता निगम को विवरणी प्रस्तुत करेगी।

4. 23 जनवरी 2015 को या उसके आसपास, याचिकाकर्ता के अधिकारी

निगम ने दिसंबर 2010 से दिसंबर 2014 तक की अवधि के लिए प्रतिवादी कंपनी के रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और पता लगाया

वेतन में विसंगतियाँ, और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा परिणामी अल्प भुगतान v.

मेसर्स टेक्समो इंडस्ट्रीज

5. 19 मार्च, 2015 के एक आदेश द्वारा निगम ने प्रत्यर्थी कंपनी से आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर ब्याज के साथ कुल 52,829/- के अपने बकाया योगदान का भुगतान करने का आह्वान किया, जिसमें विफल रहने पर उसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। हालाँकि, प्रत्यर्थी कंपनी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था, यदि वह निगम के दावे को विवादित करती है। 6. प्रत्यर्थी कंपनी ने दावे के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें कहा गया कि निगम ने परिवहन भत्ता, छुट्टी वेतन आदि को शामिल करके गलती से वेतन की गणना की थी।

ईएसआई अधिनियम की धारा 2 (22) में परिभाषित मजदूरी का गठन नहीं करता है। 7. इसके बाद याचिकाकर्ता निगम ने ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 45 ए के तहत 6 जुलाई, 2016 को एक संशोधित आदेश पारित किया, जिसमें उत्तरदाता कंपनी द्वारा देय अंतर योगदान का निर्धारण किया गया।

Rs.19,38,300/- उक्त संशोधित आदेश में दिए गए विभाजन के अनुसार, यानी रु। वेतन में अंतर के लिए 9.89,783 और परिवहन भत्ते के लिए रु. 9,48,517/-। प्रत्यर्थी कंपनी विधिवत प्रेषित की गई

रु. 9,89,783/- मजदूरी में अंतर के लिए।

8. प्रत्यर्थी कंपनी ने कार्यवाही शुरू की

कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय 2016 का E.S.I.O.P नंबर 1 है।

प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा उसके लिए भुगतान किए गए परिवहन भत्ते के संबंध में निगम के रुपये के दावे के संबंध में

कर्मचारी। 9. 31 जुलाई, 2020 के एक फैसले और आदेश द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने 2016 के E.S.I.O.P नंबर 1 की अनुमति दी, और इसे अलग कर दिया।

प्रत्यर्थी कंपनी अपने कर्मचारियों को। 10. कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के 31 जुलाई, 2016 के फैसले और आदेश से व्यथित होकर निगम ने एक याचिका दायर की।

ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 82 (2) के तहत उच्च न्यायालय में अपील। उक्त अपील को इस विशेष अनुमति याचिका में आरोपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। 11. इस विशेष अवकाश याचिका में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (22) में परिभाषित 'मजदूरी', [2021] 2 एस. सी. आर. होगी।

इसमें प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया परिवहन भत्ता शामिल है।

12. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 22 (2) नीचे दी गई है -

सुविधाः

" 2.परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि कुछ भी अप्रिय न हो

विषय या संदर्भ में,

(22) " मजदूरी का अर्थ है किसी कर्मचारी को नकद में दिया गया या देय सभी पारिश्रमिक, यदि रोजगार अनुबंध की शर्तें, व्यक्त या निहित, पूरी की गई थीं और इसमें किसी कर्मचारी को अधिकृत अवकाश की किसी भी अवधि के संबंध में कोई भुगतान शामिल है।

तालाबंदी, हड़ताल जो अवैध या छंटनी नहीं है और अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, यदि कोई दो महीने से अधिक के अंतराल पर भुगतान किया जाता है], लेकिन इसमें शामिल नहीं है

(अ)

नियोक्ता द्वारा किसी भी पेंशन में दिया गया कोई भी योगदान

निधि या भविष्य निधि, या इस अधिनियम के तहत;

(ख)

कोई भी यात्रा भत्ता या किसी भी यात्रा का मूल्य

रियायत;

((ग)

विशेष भुगतान करने के लिए नियोजित व्यक्ति को दी गई कोई राशि

उसकी प्रकृति से उस पर आने वाले खर्च

रोजगार; या

(घ) निर्वहन पर देय कोई उपदान "

13. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (22) को पढ़ने से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि 'मजदूरी' का अर्थ है किसी कर्मचारी को, रोजगार के अनुबंध के तहत, अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए विचार के रूप में, व्यक्त या निहित, नकद में भुगतान या देय सभी पारिश्रमिक, जिसमें किसी कर्मचारी को अधिकृत छुट्टी, तालाबंदी, हड़ताल की किसी भी अवधि के संबंध में कोई भुगतान शामिल है जो अवैध या छंटनी नहीं है और अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दो महीने से अधिक के अंतराल पर

भुगतान किया जाता है। 'मजदूरी' की परिभाषा, हालांकि, किसी भी पेंशन कोष या भविष्य निधि या ई. एस. आई. अधिनियम के तहत नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी भी योगदान, किसी भी यात्रा भत्ते या किसी भी यात्रा रियायत के मूल्य, विशेष खर्चों का भुगतान करने के लिए नियोजित व्यक्ति को भुगतान की गई किसी भी राशि को स्पष्ट रूप से बाहर करती है।

नौकरी या छुट्टी पर देय कोई उपदान।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v. मेसर्स टेक्समो इंडस्ट्रीज

14. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (22) में मजदूरी की परिभाषा से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि मजदूरी में पारिश्रमिक भुगतान शामिल हैं, लेकिन

उसकी नौकरी की प्रकृति का कारण। 15. कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया, और हमारे विचार में, सही है कि परिवहन भत्ता यात्रा भत्ते की प्रकृति में है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में सक्षम बनाना और अपने निवास स्थान से अपने कार्यस्थल तक यात्रा पर होने वाली लागतों का भुगतान करना है। यदि परिवहन भत्ते का भुगतान करने के बजाय, नियोक्ता कर्मचारी को मुफ्त परिवहन प्रदान करता है, तो उसके निवास से उसके कार्यस्थल तक यात्रा के उस लाभ का मौद्रिक मूल्य भी उसके वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

16. ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड के प्रबंधन में, चेन्नई बनाम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चेन्नई ने 2002 (1) एल. एल. जे. 14 में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने कहाः

" 8. जहाँ तक परिवहन भत्ते का संबंध है, भले ही यह मजदूरी का हिस्सा है जो रोजगार के अनुबंध के संदर्भ में देय राशि है, निपटान और यहां तक कि निपटान को ध्यान में रखते हुए,

राशि "अतिरिक्त" के दायरे में आएगी।

पारिश्रमिक "। फिर भी, उस राशि को यात्रा भत्ता या किसी भी यात्रा रियायत के मूल्य के लिए परिभाषा में प्रदान किए गए विशिष्ट बहिष्करण को ध्यान में रखते हुए बाहर करना होगा। भुगतान किया गया परिवहन भत्ता यात्रा भत्ते की प्रकृति का होता है क्योंकि उस भुगतान का उद्देश्य कर्मचारी को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में सक्षम बनाना और अपने निवास स्थान से कार्यस्थल तक की यात्रा पर होने वाली लागत का एक हिस्सा चुकाना होता है। यदि वाहन भत्ता का भुगतान करने के बजाय, नियोक्ता ने कर्मचारियों को मुफ्त परिवहन प्रदान किया होता, तो उनके निवास से कार्यस्थल तक मुफ्त यात्रा के उस लाभ का मौद्रिक मूल्य मजदूरी का हिस्सा नहीं माना जा सकता था। निवास स्थान से कार्य स्थल तक की यात्रा पर उपयोग किए जाने के उद्देश्य से नकद में भुगतान किया गया परिवहन भत्ता एक ही चरित्र का है और कोई [2021] 2 एस. सी. आर. नहीं है।

इसे कर्मचारी राज्य की धारा 2 (22) (बी) के उद्देश्य के लिए यात्रा भत्ता क्यों नहीं माना जाना चाहिए

बीमा अधिनियम "।

इंडस्ट्रीज, अलुवा ने 2015 (2) के. एल. टी. 64 में बताया कि केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ओरिएंटल होटल्स मामले (उपरोक्त) में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (22) के खंड (ए) से (डी) मुख्य धाराओं के अपवाद की प्रकृति में हैं। उप-खंड का भाग। कोई भी यात्रा भत्ता या किसी भी यात्रा रियायत का मूल्य 'मजदूरी' शब्द के दायरे से बाहर होगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या यात्रा भत्ते का भुगतान रोजगार अनुबंध के हिस्से के रूप में किया गया था, या क्या इसका भुगतान एकमुश्त किया गया था या क्या इसका भुगतान नियमित अंतराल पर किया गया था। यह यात्रा भत्ता होना बंद नहीं होगा क्योंकि यह रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार मजदूरी के साथ भुगतान की जाने वाली एक निश्चित राशि थी। हम केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा लिए गए विचार से सहमत हैं

रॉयल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (ऊपर) में न्यायालय।

19. हम कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य में लिए गए विचार से सहमत नहीं हैं।

आई. एल. आर. 2002 के. ए. आर. 4019 में बताया गया है कि परिवहन भत्ते के मूल्य को 'मजदूरी' की परिभाषा से बाहर नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का यह तर्क कि परिवहन भत्ते को 'मजदूरी' की परिभाषा से बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि परिवहन भत्ते का भुगतान हर महीने प्रत्येक कर्मचारी को घर का किराया भत्ते की तरह किया जाता है, रोजगार के अनुबंध के संदर्भ में, ताकि परिवहन को पूरा किया जा सके। खर्च, जबकि संबंधित कर्मचारी को यात्रा भत्ता का भुगतान तब किया जाता है जब उसे यात्रा खर्चों को पूरा करने के लिए ड्यूटी पर स्टेशन से बाहर भेजा जाता है।

हमारे विचार में, कानून में अस्थिर है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम v. मेसर्स टेक्समो इंडस्ट्रीज

20. हमारा विचार है कि, यह तर्क कि परिवहन

भत्ते को 'मजदूरी' की परिभाषा से बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका भुगतान हर महीने प्रत्येक कर्मचारी को किया जाता है, जैसे कि घर का किराया भत्ता। रोजगार अनुबंध की शर्तें, ताकि परिवहन खर्चों को पूरा किया जा सके, उक्त अधिनियम की धारा 2 (22) के गलत निर्माण पर आधारित है।

21. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (22) में मजदूरी की परिभाषा में स्पष्ट रूप से यात्रा भत्ता शामिल नहीं है। द्वारा किया जाने वाला भेद

मैसर्स आईटी सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले के आधार पर यात्रा भत्ता और परिवहन भत्ते के बीच याचिकाकर्ता निगम, हमारे विचार में गलत धारणा है। परिवहन का कोई ठोस कारण नहीं है जो भत्ता प्रभावी और सारतः यात्रा भत्ते के समान है, उसे यात्रा भत्ते से अलग तरीके से माना जाना चाहिए।

22. ई. एस. आई. अधिनियम में "यात्रा भत्ता" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (24) के तहत सभी शब्द और

ई. एस. आई. अधिनियम में उपयोग की गई, लेकिन परिभाषित नहीं की गई अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सौंपा गया है, जिसे इसके बाद "आई. डी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा। यात्रा भत्ता भी आई. डी. अधिनियम में परिभाषित नहीं है। ई. एस. आई. अधिनियम या आई. डी. अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, जो यात्रा भत्ते के दायरे और दायरे को प्रतिबंधित करता है। उन अधिनियमों में से किसी में भी "यात्रा भत्ता" अभिव्यक्ति की किसी भी परिभाषा या स्पष्टीकरण के अभाव में, अभिव्यक्ति को सामान्य बोलचाल में इसके सामान्य अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए।

23. परिवहन भत्ता प्रत्येक कर्मचारी को देय हो भी सकता है और नहीं भी। उस मामले के लिए, सभी कर्मचारियों को घर का किराया भत्ता भी नहीं दिया जा सकता है। यह मायने नहीं रखता कि किसी भत्ते का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है या आवश्यकता के आधार पर बीच-बीच में किया जाता है। यह भत्ते की प्रकृति और उद्देश्य है जो प्रासंगिक है।

24. गृह किराया भत्ते को संभवतः इसके बराबर नहीं माना जा सकता है -

परिवहन भत्ता, क्योंकि मकान किराया भत्ता आवश्यक रूप से किसी कर्मचारी के रोजगार से जुड़ा नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति नियोजित हो या नहीं और चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो

नौकरी, उसे आश्रय की आवश्यकता है। 25. दूसरी ओर, परिवहन भत्ता उन खर्चों की भरपाई करता है जो एक कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य कार्य स्थल या किसी अन्य कार्य स्थान पर रिपोर्ट करने के लिए किए जा सकते हैं, जहां उसके पास [2021] 2 एस. सी. आर. हो सकता है।

रिपोर्ट करना। यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी को प्रदान करता है अपने कार्यस्थल से पैदल दूरी के भीतर आवास और उस कर्मचारी को अपने रोजगार अनुबंध के तहत अपने कर्तव्यों के संबंध में किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं थी, कर्मचारी के पास नहीं हो सकता है

अपने रोजगार के संबंध में कोई भी खर्च उठाना। ऐसे मामले में, परिवहन भत्ता अनावश्यक होगा और इसे मजदूरी वाले भत्ते के हिस्से के रूप में माना जा सकता है। इस मामले में, यह निगम का मामला नहीं है कि संबंधित कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए या अन्यथा अपने रोजगार अनुबंधों के तहत अपने कर्तव्यों के संबंध में किसी भी परिवहन व्यय का लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं थी। न ही ऐसा कोई निष्कर्ष है। हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि परिवहन भत्ते को परिभाषा से बाहर क्यों नहीं रखा जाना चाहिए

मजदूरी।

26. ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, 8 वें संस्करण के अनुसार, परिवहन का अर्थ है किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया।

एक और। एक वाहन या परिवहन के अन्य साधन को औपचारिक रूप से परिवहन के रूप में भी जाना जाता है। इसी शब्दकोश के अनुसार, "यात्रा" शब्द का अर्थ है "एक स्थान से दूसरे स्थान पर विशेष रूप से लंबी दूरी तक जाना"। यह दूरी कुछ किलोमीटर भी हो सकती है। कोई अपने कार्यस्थल तक 10 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। कई शहरों में लोगों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए घंटों यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका व्यापक अर्थ लंबी दूरी को शामिल करना है। यह छोटी दूरी भी तय करता है।

27. यदि धारा 2 (22) का इरादा मजदूरी की परिभाषा से केवल एक शहर से दूसरे शहर में कभी-कभार लंबी दूरी की यात्रा को बाहर करने का होता, तो अधिनियम में विशेष रूप से ऐसा प्रावधान किया जाता। उक्त शब्दकोश के अनुसार, 'यात्रा' अभिव्यक्ति का उपयोग अक्सर 'आवागमन' अभिव्यक्ति के साथ किया जाता है, जिसका अर्थ है "अपने कार्यस्थल और घर के बीच बस, ट्रेन, कार आदि से नियमित रूप से यात्रा करना। उक्त शब्दकोश में दिया गया एक उदाहरण है "वह हर दिन ऑक्सफोर्ड से लंदन आती-जाती है"। एक अन्य उदाहरण दिया गया है "यदि लोग काम के लिए बेताब हैं तो वे लंबी दूरी तक आने-जाने के लिए तैयार हैं। कर्मचारी राज्य बीमा

निगम न्यायालय का यह निर्णय सही था कि परिवहन भत्ते और यात्रा भत्ते में कोई अंतर नहीं था।

28. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम. ई. एस. आई. निगम ने (2000) 3 एस. सी. सी. 185 में बताया कि

ई. एस. आई. अधिनियम एक सामाजिक कानून है जो कर्मचारियों को बीमारी, प्रसूति और रोजगार चोट के मामले में लाभ प्रदान करने और उसके संबंध में कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

जब कोई कर्मचारी राज्य बीमा निगम v हो। मेसर्स टेक्समो इंडस्ट्रीज

किसी भी प्रावधान में अस्पष्टता, न्यायालय आम तौर पर एक ऐसे निर्माण का पक्ष लेगा जो उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनके लिए कानून बनाया गया है। व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उत्पादन प्रोत्साहन मजदूरी की परिभाषा के भीतर आता है। इस मामले में कोई अस्पष्टता नहीं है। याचिकाकर्ता निगम के इस रुख को सही ठहराने के लिए परिवहन भत्ता और यात्रा भत्ते के बीच ऐसा कोई अंतर नहीं है कि परिवहन भत्ता इसके दायरे में नहीं आएगा। यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ते में परिवहन भत्ता शामिल है। धारा 2 (22) (बी) में "कोई भी यात्रा भत्ता" अभिव्यक्ति का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि सभी प्रकार के यात्रा भत्ते को मजदूरी की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

29. व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ वेलमैन (इंडिया) (पी) लिमिटेड का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया। ई. एस. आई. निगम

(1999) 1 एस. सी. सी. 219 में रिपोर्ट किया गया, मॉडल वूलेंस लिमिटेड वी. ई. एस. आई. कॉर्पोरेशन ने 1994 में रिपोर्ट किया सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 580 और हरिहर पॉलीफाइबर्स वी. क्षेत्रीय निदेशक, ई. एस. आई. निगम ने (1994) 4 एस. सी. सी. 7 में सूचना दी। वेलमैन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने माना कि निपटान की शर्तों के तहत कर्मचारियों को देय उपस्थिति बोनस, जो रोजगार के अनुबंध का हिस्सा बन गया था, मजदूरी की परिभाषा के भीतर था। मॉडल वूलेंस (ऊपर) में, प्रत्येक तिमाही के अंत में कर्मचारियों को उत्पादन बोनस का भुगतान मजदूरी माना जाता था। हरिहर पॉलीफाइबर (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि "हाउस रेंट अलाउंस", "नाइट शिफ्ट अलाउंस", "इंसेंटिव अलाउंस" और "हीट, गैस एंड डस्ट" जैसे दो महीने से अधिक के अंतराल पर भुगतान किया जाता है।

भत्ते को ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (22) के तहत मजदूरी की परिभाषा के तहत शामिल किया गया था। इनमें से कोई भी निर्णय परिवहन भत्ते या यात्रा भत्ते से संबंधित नहीं था। 30. उच्च न्यायालय और कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में कोई कमजोरी नहीं है, जो मांग करता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप। विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।

विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।

बिभूति भूषण बोस